

# डिजिटल अंतर को पाटना जरूरी


– अविनाश मिश्रा, मधुबंती दत्ता

किसी भी विकासशील देश को विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर करने वाली सबसे प्रभावी शक्तियां सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां हैं। ये प्रौद्योगिकियां युवा कार्यबल को अधिक अर्थपूर्ण कार्य करने के लिए आवश्यक उन्नत कौशल प्रदान करने में सहायक हैं। इन्हें अपनाने से हम डिजिटल विभाजन को पाट सकते हैं, कम कुशल लोगों को कौशल संपन्न भावी कार्यबल के रूप में तैयार कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी को समृद्ध होने का अवसर मिले। भारत को अनिवार्य रूप से एक ऐसी सार्वजनिक संस्थागत संरचना की आवश्यकता है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किए गए लाभों का उपयोग करे। भारत में डिजिटल शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो दैनिक जीवन के सभी पहलुओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग को शामिल करे और प्रासंगिक रूप से उपयुक्त हो। स्कूली शिक्षा के लिए ग्रामीण भारत में लास्ट-माइल कनेक्टिविटी (अंतिम गंतव्य तक पहुँच) महत्वपूर्ण है पर जहाँ 2जी स्पीड अभी भी एक समस्या बनी हुई है। इसलिए डिजिटल क्रांति लाने के लिए युक्तिपूर्ण सोच, कानून और विनियमन में एक आमूल परिवर्तन आवश्यक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक वायरलेस नेटवर्क के साथ डिजिटल रूप से एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा जिसमें आर्थिक विकास के आयाम निहित होंगे।

**भारत** प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक आबादी वाले, विविधतापूर्ण और बड़े देशों में से एक है। अपनी आबादी के सशक्तीकरण और व्यापक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से ई-प्रशासन को लागू करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। प्रौद्योगिकी-सक्षम संचार का एकीकरण और डेटा-संचालित शासन भारत में ई-सरकार की दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। इंटरनेट और मोबाइल प्रौद्योगिकी ने बड़ी मात्रा में डेटा का तेजी से अंतरण करना संभव बना दिया है जो कुशल प्रशासन की नींव है। ई-प्रशासन का उपयोग सभी परिचालन प्रक्रियाओं की पारदर्शिता

बढ़ा देता है।

मौजूदा समाजों में डिजिटल असमानता चिंता का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। ये भिन्नताएं डिजिटल संसाधनों के प्रयोग में पहुँच, वास्तविक उपयोग और दक्षता के विभिन्न स्तरों का परिणाम हैं। डिजिटल संसाधन, विशेष रूप से अत्याधुनिक तकनीकें जैसे बिज़नेस एनालिटिक्स, बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समुदायों के लिए स्थायित्व हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। डिजिटल समाजों को दीर्घकाल तक टिके रहने के लिए डिजिटल असमानता को कम करने की जरूरत है। डिजिटल असमानता के



अविनाश मिश्रा नीति आयोग, भारत सरकार में एडवाइज़र (पर्यटन और संस्कृति एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग, जल और भूमि संसाधन वर्टीकल) हैं और मधुबंती दत्ता नीति आयोग, भारत सरकार में यंग प्रोफेशनल (पर्यटन और संस्कृति और जलवायु परिवर्तन प्रभाग) हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।  
ई-मेल: amishra-pc@gov.in, dutta.madhubanti@gov.in

सभी रूपों को सामूहिक रूप से 'डिजिटल विषमता' कहा जाता है। डिजिटल अंतर अभी भी एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। विश्व-स्तर पर तीन अरब लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। औद्योगिक देशों की तुलना में विकासशील और सबसे कम विकसित देशों में इसके न होने की संभावना अधिक है।

एक राष्ट्र का दायित्व बनता है कि वह सभी को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने और तकनीकी बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाए ताकि इससे महत्वपूर्ण लाभ हासिल हो सकें। डिजिटल अंतर को पाटने का मुद्दा तकनीकी, बुनियादी ढांचे और सामाजिक-आर्थिक समाधानों की मांग करता है जो पहुँच, सामर्थ्य, और डिजिटल साक्षरता से जुड़े हैं। मौजूदा तकनीक का उपयोग ऐसे समाधान तैयार करने के लिए किया जा सकता है जो उच्चस्तरीय, भरोसेमंद और सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करते हैं और जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था में असीमित भागीदारी सक्षम होती है।

वित्तीय, लिंग और जातीय असमानताओं के साथ ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों और कमजोर वर्गों में भी अंतर बढ़ता जा रहा है। खराब स्थानीय अवसंरचना इंटरनेट को पहुँच वाले स्थानों में धीमा और महंगा बना सकती है जिससे यह कई लोगों की सामर्थ्य से बाहर हो जाता है। इसके विपरीत इंटरनेट के रुकने से सब देशों में अधियारा छा सकता है। डिजिटल जगत मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी परिवर्तन के परिणामस्वरूप विकसित हुआ है; सूचना समाज के स्तंभों में अब ई-लर्निंग, ई-लाइब्रेरी, ई-हेल्थ और ई-गवर्नेंस शामिल हैं। सूचना की उपलब्धता सार्वभौमिक नहीं है और उन व्यक्तियों और समूहों के बीच हमेशा एक अंतर रहा है जो प्रभावी रूप से सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं। इससे एक डिजिटल डिवाइड उत्पन्न हुआ है जो विकासशील देशों में सरकारों के लिए अत्यंत चिंता का विषय है।

### डिजिटल डिवाइड से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण

सम्यता में क्रांति फलीभूत करने के लिए इंटरनेट प्रौद्योगिकी की क्षमता को कार्ययोजना की दरकार है। डिजिटल अंतर को पाटने और लोगों को सूचना तक सस्ती, सर्व-समावेशी पहुँच प्रदान करने के लिए राष्ट्रों को अपने संचार और आईटी के बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज स्थानों में, भले ही आईटी अवसंरचना और विशेष रूप से आईटी के उपयोग में सुधार हुआ है। इंटरनेट से संबंधित प्रौद्योगिकियों में सामाजिक परिवेश को बदलने की क्षमता है। ज्ञान हासिल करने और मानव विकास के लिए इंटरनेट जानकारी तक पहुँच आवश्यक है। इंटरनेट कीमतों को घटाने, दक्षता बढ़ाने और श्रम उत्पादकता में बढ़ोतरी द्वारा अर्थव्यवस्था की मदद कर सकता है। इंटरनेट भारत को स्थिरता बनाए रखने, भविष्य के लिए सक्षमता को बढ़ावा

देने और जवाबदेही के दायित्व द्वारा अपने लक्ष्यों तक पहुँचने में सहायता करने में एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। हालांकि साक्ष्य बताते हैं कि इंटरनेट प्रौद्योगिकियों के फायदों का दायरा समान नहीं है और राष्ट्रों में और स्वयं उनके भीतर अंतर बढ़ता जा रहा है।

जो लोग अधिक जागरूक हैं, अधिक जुड़े हुए हैं और कौशल संपन्न हैं, उन्हें इंटरनेट क्रांति से असमान रूप से लाभ हुआ है। अविकसित देशों में ग्राहकों के लिए धीमी गति वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी की लागत भी अधिक होती है। कुछ देशों का आर्थिक विकास क्षेत्र-विशिष्ट उपकरणों और शुल्कों से बाधित हुआ है। धीमी गति और उच्च विषय-वस्तु लागत के कारण स्थानीय रूप से विषय-वस्तु हॉस्ट या प्रदान करने में असमर्थता के कारण मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संभावित इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को प्रौद्योगिकी के महत्त्व के बारे में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में विषय-वस्तु और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त सेवाओं की आवश्यकता है। बहुत से लोग विशेष रूप से महिलाएं तकाजा करती हैं कि वे इंटरनेट का उपयोग नहीं करती हैं क्योंकि उनके पास अपेक्षित कौशल की कमी है।

### सभी के लिए किफायती, समावेशी इंटरनेट हासिल करना

पिछले दस वर्षों के दौरान नीतियों का फोकस इंटरनेट पहुँच की आवश्यक अवसंरचना पर रहा है। इसमें उल्लेखनीय सफलताएं

मिली हैं हालांकि अभी भी बहुत काम किया जाना शेष है। वर्तमान में दुनिया की 70 प्रतिशत आबादी (इंटरनेट सोसाइटी 2016) के पास मोबाइल इंटरनेट सिग्नल पाया जा सकता है। एक समावेशी और सस्ता इंटरनेट स्थापित करने में मदद करने के लिए, जो नवाचार, सशक्तीकरण और विकास की संभावनाओं को बढ़ाता है, नीति निर्माताओं को अविलंब अपनी सीमाओं को विस्तार प्रदान करने की आवश्यकता है। सभी के लिए एक किफायती, समावेशी इंटरनेट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंड महत्वपूर्ण हैं—

**बुनियादी ढांचे का महत्व**— विकासशील देशों में समावेशिता और रचनात्मकता के सृजन के लिए मोबाइल पहुँच महत्वपूर्ण है। सड़कों और बिजली लाइनों जैसे अन्य प्रकार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नेटवर्क साझाकरण और फाइबर ऑप्टिक केबल की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारों और व्यापार क्षेत्र को सहयोग करना चाहिए। पहुँच की सुविधा, नवाचार को बढ़ावा देने और विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों और नियामकों को ऐसे नियम अवश्य बनाने चाहिए जो प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करें और नेटवर्क निवेश को बढ़ावा दें। टर्न की (शुरू से आखिर तक) आधार पर ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए पूर्ण पैमाने पर डिज़ाइन तैयार करने, स्थापना और सेवा पैकेज विकसित करने और परीक्षण के लिए बुनियादी ढांचे को अत्यधिक विकसित करना होगा। सार्वजनिक ब्रॉडबैंड तक पहुँच एक डिजिटल रूप से विकसित देश के निर्माण की शुरुआत है जो नागरिकों के बीच तकनीकी विभाजन

का अंत करता है और नए व्यवसायों और विकास की संभावनाओं को आमंत्रित करता है।

**मूल्य निर्धारण**— उचित मूल्य पर सस्ती और व्यापक इंटरनेट पहुँच की सुविधा प्रदान करना नीति निर्माताओं का दायित्व है। अंततोगत्वा सरकारें एक वाणिज्यिक और नियामक वातावरण को प्रोत्साहित करने में तभी सक्षम हो सकती हैं जब निजी क्षेत्र डिजिटल प्रौद्योगिकी के अनुकूल हो। यह वित्तीय स्थिति को सक्षम कर सकता है और बुनियादी ढांचे के विकास में तेज़ी ला सकता है। सुलभ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी द्वारा आर्थिक विकास सुगम होता है। चीन की ई-कॉमर्स बिक्री का 40 प्रतिशत ऑफलाइन लेनदेन (मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट 2013 b) का स्थान लेने के बजाय वृद्धिशील खपत को बढ़ावा देता है। लेकिन दुनिया भर में केवल 15 प्रतिशत लोग ब्रॉडबैंड इंटरनेट (विश्व बैंक 2016) का उपयोग करने में सक्षम हैं। सामर्थ्य की कमी महिलाओं पर प्रतिकूल रूप से नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है क्योंकि वे आमतौर पर कम धनराशि अर्जित करती हैं और अपनी खरीदारी पर उनका अधिकार कम होता है। मोबाइल बाज़ार में प्रतिस्पर्धा ने रचनात्मक मूल्य निर्धारण युक्तियों को जन्म दिया है। विशेष पैकेज, जिन्हें 'ज़ीरो-रेटेड कंटेंट' कहा जाता है, कुछ विषय-वस्तु या सेवाओं तक असीमित पहुँच की अनुमति देते हैं। कुछ का तर्क है कि ज़ीरो-रेटेड विषय-वस्तु इंटरनेट पहुँच को बढ़ा सकती है जबकि अन्य (भारतीय दूरसंचार नियामक और ट्राई सहित) ने इसके प्रतिस्पर्धा पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है। क्षेत्र-विशेष कर जैसाकि सिम कार्ड पंजीकरण के लिए होता है, मात्रा कम करके लागत बढ़ा सकते हैं, मांग को घटा सकते हैं और सार्वजनिक कोष में लाभांश कम कर सकते हैं।

**डिजिटल समावेशन और मानव क्षमता का सृजन**— इंटरनेट पहुँच हासिल करने में भाषा एक अवरोध पैदा करती है। खुद के लिए कंप्यूटर लेने या इंटरनेट का उपयोग करने की कम प्रवृत्ति अंग्रेज़ी पढ़ने और लिखने के कमज़ोर स्तर से जुड़ी है (क्वेस्ट 2016) इसके बावजूद आधे से अधिक वेब विषय-वस्तु अंग्रेज़ी में हैं और व्यापक स्वीकृति की कमी ने अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नामों (आईडीएन) (इयूआरआईडी, यूनेस्को 2016) की मांग को घटा दिया है।

लोगों के ऑनलाइन होने की संभावना तब कम होती है जब उनके द्वारा समझी जा सकने वाली भाषा में कोई उपयोगी विषय सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। महिलाओं के ऑनलाइन होने में दो प्रमुख बाधाएं हैं— तकनीकी साक्षरता और आत्मविश्वास की कमी। सरकारों और अन्य हितधारकों को एसएमई (लघु और मध्यम आकार वाले उद्यमों) और महिलाओं द्वारा स्थानीय रूप से प्रासंगिक सामग्री तैयार करने के लिए उनकी क्षमता को प्रोत्साहन देना चाहिए। शिक्षा और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम भावी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, स्थानीय विषय-वस्तु निर्माताओं और नीति निर्माताओं



को उन क्षमताओं से लैस करने के लिए आवश्यक हैं जिससे वे सूचना समाज में केवल उपभोक्ताओं के बजाय निर्माताओं के रूप में योगदान कर सकें और लाभ प्राप्त कर पाएं।

**पहुँच को मापना**—प्रभावी नीति प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए वर्तमान उच्च-स्तरीय जानकारी होना आवश्यक है। डिजिटल असमानताओं को हल करने के तरीके के बारे में विचारपूर्ण निर्णय लेने से सभी हितधारकों को लाभ हो सकता है। कितने लोग जुड़े हुए हैं, वे कैसे क्लिक कर रहे हैं और जुड़ने(कनेक्ट होने) के प्रभावों को जानने से मदद मिल सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठनों को लिंग के आधार पर इंटरनेट की पहुँच पर व्यवस्थित रूप से आँकड़े एकत्र करने चाहिए। एक समान कदम उठाने के लिए सरकारों को अधिक धन आवंटित करना चाहिए और संबंधित पक्षों के साथ सहयोग करना चाहिए।

**ई-सरकार विकास सूचकांक (ईजीडीआई)** देशों के लिए एक-दूसरे से सीखने, ई-सरकार में क्षमतावान क्षेत्रों और चुनौतियों की पहचान करने और इस क्षेत्र में उनकी नीतियों और युक्तियों को निर्धारित करने के लिए एक बेंचमार्किंग (मानक) और विकास साधन के रूप में कार्य करता है। नीचे दी गई तालिका संयुक्त राष्ट्र ई-सरकार सर्वेक्षण के अनुसार भारत के स्थान को दर्शाती है जिसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या 193 थी।

भारत को ज्ञान-आधारित समाज और अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए भारत सरकार *डिजिटल इंडिया* कार्यक्रम लागू कर रही है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पहुँच, डिजिटल समावेशन और सशक्तीकरण सुनिश्चित करके भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम शुरू किया जिससे डिजिटल डिवाइड पाटा जा सके। संक्षेप में, यह मिशन सुनिश्चित करता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुधार लाएं, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करें और देश में निवेश और रोजगार के अवसर और वैश्विक डिजिटल तकनीकी क्षमताओं का निर्माण करें। *डिजिटल इंडिया* नामक इस व्यापक प्रयास में कई सरकारी मंत्रालय और विभाग शामिल हैं। सेवाओं की ई-क्रांति (इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी)

वर्ष	रैंक	ईजीडीआई सूचकांक मूल्य
2022	105वां	0.5883
2020	100वां	0.5964
2018	96वां	0.5669
2016	107वां	0.4637
2014	118वां	0.3834

स्रोत: <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2022>



देश में विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाओं के प्रावधान की परिकल्पना करती है। ई-क्रांति का लक्ष्य विभिन्न सरकारी विभागों के तहत ई-सरकार में मिशन मोड प्रोजेक्ट्स (एमएमपी) के पोर्टफोलियो को बढ़ाकर, गवर्नमेंट प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग (जीपीआर) को लागू करके, वर्कफ्लो को स्वचालित करके, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे क्लाउड और मोबाइल प्लेटफॉर्म को आरंभ करके और सेवाओं के एकीकरण पर जोर देकर ई-सरकारी सेवाओं में क्रांति लाना है। डिजिटल इंडिया के तहत कई अन्य परियोजनाओं/योजनाओं को लागू किया जा रहा है। माईगव (मेरी सरकार) का उद्देश्य सुशासन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार और नागरिकों के बीच एक संपर्क स्थापित करना है।

**डिजिटल इंडिया** ने प्रभावशाली तरीके से सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को काफी कम कर दिया है। इसके अलावा, डिजिटल इंडिया ने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से सीधे लाभार्थी को काफी सेवाएं प्रदान करने में भी मदद की है। नागरिकों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले दुनिया के प्रमुख देशों में भारत शामिल हो गया है। डिजिटल इंडिया एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की कई परियोजनाएं शामिल हैं। सार्वजनिक सेवा वितरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलें इस प्रकार हैं:

**सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी):** ग्राम स्तर के उद्यमियों के माध्यम से सीएससी ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) को डिजिटल सरकार और वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान करते हैं। सीएससी 400 से अधिक डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं। वर्तमान में देश भर में (शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में) 5.31 लाख सीएससी कार्यरत हैं जिनमें से 4.20 लाख ग्राम पंचायत स्तर पर हैं।

**यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग):** उमंग ऐप नागरिकों को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सरकारी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए है। उमंग के द्वारा 22,000 से अधिक बिल भुगतान सेवाओं के साथ-साथ 1,570 से अधिक सरकारी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

**ई-डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी):** ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के जिला और उप-जिला स्तरों पर लागू की गई है जिससे सभी नागरिकों को विभिन्न ई-सेवाएं जैसे प्रमाणपत्र (जन्म, मृत्यु, जाति, आय, और स्थानीय निवासी), पेंशन (वृद्धावस्था, दिव्यांगता और विधवा), चुनाव संबंधी, उपभोक्ता न्यायालय, राजस्व न्यायालय, भूमि रिकॉर्ड और वाणिज्यिक कर, कृषि, श्रम, रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास आदि जैसे विभिन्न विभागों की सेवाएं प्रदान करके लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में भारत के 709 जिलों में 4,671 ई-सेवाएं शुरू की गई हैं।

**डिजिलॉकर:** यह सार्वजनिक दस्तावेजों की कागज रहित उपलब्धता की सुविधा प्रदान कर रहा है। डिजिटल लॉकर के 11.7

करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं और 2,167 जारीकर्ता संगठनों से डिजिलॉकर के माध्यम से 532 करोड़ से अधिक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं।

**यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई)** अग्रणी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है। यह 330 बैंकों के साथ एकीकृत है और जून 2022 के लिए 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 586 करोड़ से अधिक के मासिक लेनदेन की सुविधा प्रदान की गई।

**को-विन:** यह कोविड-19 के लिए पंजीकरण, अपॉइंटमेंट निर्धारण और टीकाकरण प्रमाणपत्रों के प्रबंधन के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है। को-विन द्वारा 203 करोड़ से अधिक टीकाकरण खुराकों और 110 करोड़ पंजीकरणों की सुविधा प्रदान की गई है।

**माईगव (मेरी सरकार):** यह नागरिकों को सरकार से जोड़ने वाला मंच है जिसे सहभागी शासन की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। माईगव को 2.48 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं।

**मेरी पहचान:** मेरी पहचान नामक राष्ट्रीय एकल साइन-ऑन प्लेटफॉर्म को जुलाई 2022 में शुरू किया गया है ताकि नागरिकों को सरकारी पोर्टलों तक आसानी से पहुँच प्रदान की जा सके।

**माईस्कीम:** नागरिकों को पात्रता-आधारित सेवाओं का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान करने के लिए यह मंच जुलाई 2022 में आरंभ किया गया है।

**प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी):** 53 मंत्रालयों में 315 योजनाएं नागरिकों को आधार-सक्षम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की पेशकश कर रही हैं। अब तक डीबीटी प्लेटफॉर्म के ज़रिए 24.3 लाख करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है।

**दीक्षा:** दीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर का शैक्षिक मंच है जो छात्रों और शिक्षकों को देश के लिए बड़े पैमाने पर अध्ययन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साझा मंच में भाग लेने, योगदान करने और लाभ उठाने में मदद करता है। इस पर 27 जुलाई, 2022 तक 7,633 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं और 15 करोड़ से अधिक दाखिले हो चुके हैं।

**सरकार ने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए डेटा गवर्नेंस की दिशा में कई कदम उठाए हैं। सरसरी तौर पर उनका विवरण निम्नलिखित है:**


**ओपन सरकारी डेटा प्लेटफॉर्म:** गैर-व्यक्तिगत डेटा से सम्बंधित डेटा विनिमय की सुविधा और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए खुले प्रारूप में सरकारी डेटा के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। 12,800 से अधिक कैटलॉग में 5.65 लाख से अधिक डेटासेट जारी किए गए हैं। प्लेटफॉर्म से 93.5 लाख डाउनलोड किए गए हैं।

**एपीआई सेतु:** सभी प्रणालियों में डेटा विनिमय को सरल बनाने के लिए एपीआई सेतु नामक एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस पर 2100 से अधिक एपीआई और 1000 उपयोगकर्ता

डिजिटल इंडिया की सफलता 4 पिलर्स पर आधारित है:

1. डियाइस की कीमत
2. डिजिटल कनेक्टिविटी
3. डेटा की कीमत
4. 'डिजिटल फुल्ट' की सोच

**नई दिल्ली में छठे इंडिया मोबाइल कांग्रेस**  
में पीएम मोदी का संबोधन





राज्यों द्वारा डेटा माइनिंग और विश्लेषणात्मक पद्धतियों का उपयोग इस दिशा में निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट है कि देश में ई-प्रशासन को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए सभी राज्यों और सेवाओं में निरंतर विकास अत्यावश्यक है।

2030 तक दुनिया को बदलने और सतत विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समाज के कामकाज में एक आमूल परिवर्तन आवश्यक होगा। यह पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी कि सरकार कैसे देश के सार्वजनिक मामलों का प्रबंधन करती है और अपने नागरिकों की मांगों को पूरा करने के साथ-साथ नागरिक समाज और व्यापार

संगठन उपलब्ध हैं। अपनी डिजिटल सरकार के लिए भारत की परिकल्पना की पूरी क्षमता को साकार करने, डेटा-आधारित शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण की प्रभावशीलता को बढ़ाने और डेटा-आधारित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी। इस नीति को अभी भी संशोधित किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 26 मई, 2022 को राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति के मसौदे को सार्वजनिक राय के लिए उपलब्ध कराया है।

### निष्कर्ष

सरकार के सभी स्तरों को ई-गवर्नेंस द्वारा बदलने की आवश्यकता है लेकिन स्थानीय सरकारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे जनता के सबसे करीब हैं और कई लोगों के लिए संपर्क के प्राथमिक स्तर के रूप में काम करती हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ-साथ होना चाहिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत जैसे देशों के लिए जिनके नागरिक विभिन्न भाषायी मूल के हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ई-सरकार अत्यधिक लाभदायक है। वर्तमान में देश में कई सफल परियोजनाएं चल रही हैं लेकिन उनमें से चुनिंदा राष्ट्रीय स्तर की हैं। प्रभावी मॉडलों को देश भर में समान रूप से पुनः लागू करना और उन्नत करना महत्वपूर्ण है। विभिन्न राज्यों द्वारा तैयार अनेक अनुप्रयोगों के असंगत स्वरूप पर ध्यान देना, एक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए उनका एकीकरण और

क्षेत्र को अपने साथ जोड़ती है। आईसीटी और ई-सरकार की बंदौलत सतत विकास की प्राप्ति में कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। वैश्विक अंतरसंबंध (ग्लोबल इंटरकनेक्शन) और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास में मानव प्रगति में तेज़ी लाने, डिजिटल डिवाइड को पाटने और विभिन्न उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा देने वाले ज्ञानवान समाज के निर्माण की क्षमता है।

नए और बड़े डिजिटल डिवाइड के जोखिमों को रोकने के लिए डिजिटल युग द्वारा उत्पादित वैज्ञानिक सूचना, प्रौद्योगिकी और जानकारी का सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया जाना चाहिए। सरकारों को अनुसंधान और विकास में व्यापार क्षेत्र के साथ सहयोग करना चाहिए विशेष रूप से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अंतर के समाधान में ताकि नई प्रौद्योगिकी को अपनाने से समाज पर पुरजोर प्रभाव पड़े।

डिजिटल क्रांति में तकनीकी प्रगति शामिल होगी लेकिन इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होगी जो ग्राहकों को भरोसेमंद, तेज़, सुलभ और मनपसंद सेवाएं प्रदान करे। कई देशों के सार्वजनिक क्षेत्र इस बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं। पारम्परिक तरीके लागू नहीं हो सकते हैं इसलिए युक्तिपूर्ण सोच, कानून और विनियमन में एक आमूल बदलाव आवश्यक हो सकता है। यद्यपि ई-सरकार ऑनलाइन सेवाओं को बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है, भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल सरकार सामाजिक रचनात्मकता और लचीलेपन को अपना कर प्रशासन को कैसे बदल सकती है।

### कुरुक्षेत्र का आगामी अंक



जनवरी 2023 - सहकारिता

